भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 702

2 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

स्वच्छ भारत मिशन और 'अमृत' योजना का कार्यान्वयन

702. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंह:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री गणेश सिंह:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री रमेश बिधूड़ी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)-2.0 और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)-2.0 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एसबीएम-2.0 और अमृत-2.0 के अंतर्गत स्वीकृत निधियों, वित्तीय परिव्यय और जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में संपूर्ण शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में सीवेज और सेप्टिक प्रबंधन में सुधार करने की योजना बनाई है ताकि नदियों में कहीं भी सीवेज न बहे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) असम राज्य में एसबीएम को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) स्वच्छ भारत मिशन और 'अमृत' के अंतर्गत कचरा मुक्त शहरों और विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में हर घर में स्वच्छ जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) क्या इस संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कोई दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए गए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): 01 अक्टूबर, 2021 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) सभी आवास और परिसर अपने कचरे को "गीले कचरे" (रसोई और बगीचों से) और "सूखा कचरा" (कागज, कांच, प्लास्टिक, और घरेलू खतरनाक कचरे और सैनिटरी कचरे को अलग से लपेटकर) में अलग करते हैं;

(ii) प्रत्येक आवास/परिसर से अलग किए गए कचरे का घर-घर जाकर शत-प्रतिशत संग्रह;

(iii) वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित कचरे के सभी अंशों का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन;

(iv) सभी विरासत डंपसाइट्स का उपचार किया गया;

(v) मल कीचड़ सहित उपयोग किया गया सारा पानी सुरक्षित रूप से रखा, आगे भेजा, प्रसंस्करण और उसका निपटान किया जाता है ताकि परिवहन, संसाधित और निपटाया जाता है ताकि एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में कोई भी अनुपचारित मल कीचड़ और उपयोग किया गया पानी जमीन या जल निकायों को प्रदूषित न करे;

(vi) प्लास्टिक में एक-बारगी उपयोग में चरणबद्ध कमी।

01 अक्टूबर, 2021 को शुरू किए गए अमृत 2.0 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) 500 शहरों से लगभग 4,800 संवैधानिक कस्बों तक जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज।

(ii) शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।

(iii) 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन का सार्वभौमिक कवरेज।

(iv) 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शन देने का लक्ष्य।

(v) बढ़ी हुई ऋण योग्यता और बाजार उधारी के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की वित्तीय स्थिरता पर ध्यान देना।

(vi) शहरों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और निगरानी उपकरण और मिशन त्वरक के रूप में कार्य करने के लिए 'पे जल सर्वेक्षण' शुरू किया जाएगा।

(vii) अमृत 2.0 के तहत प्रौद्योगिकी उप-मिशन जल क्षेत्र में सिद्ध और संभावित वैश्विक प्रौद्योगिकियों की पहचान करने में मदद करेगा।

(viii) कम लागत वाले स्वदेशी उपकरणों और प्रक्रियाओं में शामिल उद्यमिता/स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख): 01 अक्टूबर, 2021 को एसबीएम-यू 2.0 और अमृत 2.0 शुरू किए गए। एसबीएम-यू 2.0 और अमृत 2.0 का वित्तीय परिव्यय **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के एक यूएलबी को छोड़कर, 4372 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में से, 4371 को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्रमाणित किया गया है।

(घ): इसे अमृत मिशन के तहत 25 जून, 2015 को 500 शहरों में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सीवरेज कवरेज और सेप्टेड प्रबंधन का सुधार करना था और एक लाख या उससे अधिक की आबादी (जनगणना 2011 के अनुसार) सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों, सभी राजधानी शहर, सभी विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (हृदय) शहर, मुख्य नदियों, पहाड़ी राज्यों, द्वीपों और पर्यटन स्थलों के किनारे पर बसे चिह्नित शहरों में सार्वभौमिक रूप से सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना था। अब अमृत 2.0 के तहत सभी 500 शहरों को सीवरेज/सेप्टेज के माध्यम से सार्वभौमिक कवरेज मिलेगा।

एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में, जो अमृत के दायरे में नहीं आते हैं, सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन और उपचारित उपयोग जल पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग को एसबीएम-यू 2.0 के तहत कवर किया जाएगा।

(ड.): स्वच्छता राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकार ही राज्य में एसबीएम-यू के कार्यान्वयन के लिए अपनी कार्य योजना बनाती है। एसबीएम-यू के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने असम सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय अंश (सीएस) सहायता जारी की है, जिसमें व्यैक्ति आवास शौचालय (आईएचएचएल), समुदाय/ सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम), शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण (सीबी) और सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) और जन जागरूकता (पीए) अभियान चलाना शामिल है। असम में एसबीएम-यू की वित्तीय और वास्तविक प्रगति की स्थिति का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(च): शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए, एसबीएम-यू के तहत जनवरी, 2018 में कचरा मुक्त शहरों (जीएफसी) की स्टार रेटिंग के लिए एक प्रोटोकॉल शुरू किया गया है ताकि शहरों को कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए एक तंत्र को संस्थागत रूप दिया जा सके और स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए शहरों को प्रेरित किया जा सका।

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में, नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) को 2019 में 3 स्टार यूएलबी और 2021 में गारबेज फ्री सिटी (जीएफसी) मूल्यांकन में 5-स्टार का दर्जा दिया गया है। इससे पहले दिल्ली छावनी ने 2020 में 1 स्टार जीएफसी रेटिंग हासिल की थी।

अमृत के तहत, प्रत्येक परिवार को जल आपूर्ति प्रदान करने, 42,206 करोड़ रू. की 1,345 जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू करने के कदम उठाए गए हैं, जिसमें से 41,847 करोड़ रू. 1,326 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने के लिए 139 लाख नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य में से अब तक 114 लाख नए नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

दिल्ली के एनसीआर में, अब तक चार यूएलबी अर्थात् नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (उत्तरी डीएमसी) और दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) में 292 करोड़ रू. की दस जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 262 करोड़ रू. की नौ परियोजनाएं निर्माणाधीन है।

(छ): एसबीएम-यू 2.0 और अमृत 2.0 के परिचालन दिशानिर्देश नीचे दिए गए वेब पोर्टलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं:

एसबीएम-यू 2.0 : https://sbmurban.org/

अमृत 2.0 : https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/AMRUT-Operational-Guidelines.pdf

*****

"स्वच्छ भारत मिशन और अमृत के कार्यान्वयन" के संबंध में 02.12.2021 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 702 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

एसबीएम-यू 2.0 का वित्तीय परिव्यय

कार्यान्वयन की अनुमानित लागत : 1,41,600 करोड़ रू.

भारत सरकार का अंश : 36,465 करोड़ रू.

शेष लागत का योगदान निम्न के द्वारा किया जाएगा

(क) लाभार्थी योगदान के रूप में व्यक्ति,

(ख) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र/यूएलबी

(घ) पीपीपी के तहत निजी क्षेत्र।

(जहां निजी क्षेत्र का वित्त पोषण उपलब्ध नहीं है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवश्यक धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी)

शेष लागत: सार्वजनिक/निजी क्षेत्र से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि, बाहरी सहायता आदि सहित निधियों के विभिन्न अन्य स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न किया जाएगी।

अमृत 2.0 का वित्तीय परिव्यय

अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रू. है, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रू. का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

विभिन्न मिशन घटकों के लिए केंद्रीय बजटीय आवंटन निम्नानुसार होगा:

क्र. सं .	**मिशन घटक**	**केंद्रीय आवंटन (करोड़ रू.)**
1.	परियोजना	66,750
2.	सुधारों के लिए प्रोत्साहन (परियोजना सीए आवंटन का 8%)	5,340
3.	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रशासनिक और अन्य व्यय (ए और ओई) (परियोजना सीए आवंटन का 3.25%)	2,169
4.	एमओएचयूए के लिए प्रशासनिक और अन्य व्यय (ए एंड ओई) (परियोजना सीए आवंटन का 1.75%)	1,168
5.	प्रौद्योगिकी उप-मिशन (परियोजना सीए आवंटन का 1%)	667
6.	आईईसी गतिविधियां (परियोजना सीए आवंटन का 1%)	667

चल रही अमृत परियोजनाओं को 31 मार्च 2023 तक केंद्रीय सहायता से वित्त पोषित किया जाएगा।

उस तिथि तक अधूरी किसी भी अमृत परियोजना के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की जाएगी और इसे अपने संसाधनों से पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की होगी।

*****

"स्वच्छ भारत मिशन और अमृत के कार्यान्वयन" के संबंध में 02.12.2021 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 702 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- II

स्वच्छ भारत मिशन

(क) वित्तीय प्रगति: असम के लिए 244.30 करोड़ रू. के कुल मिशन आवंटन में से, असम सरकार द्वारा अब तक 207.49 करोड़ रू. (84.93%) की राशि आहरित की गई है।

(ख) वास्विक प्रगति:

(i) शौचालय निर्माण:

शौचालय का प्रकार	लक्ष्य	पूर्ण	प्रतिशत में प्रगति
व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल)	75,720 इकाइयां	74,416 इकाइयां	(98.50%)
सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय (सीटी / पीटी)	3,554 सीटें	3,350 सीटें	(92%)

(ii) खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति:

ओडीएफ प्रमाणन प्रकार	लक्ष्य	प्रमाणित यूएलबी की संख्या
ओडीएफ	राज्य के सभी 96 यूएलबी ओडीएफ	96
ओडीएफ+		27
ओडीएफ++		0

(iii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:

कार्यकलाप	लक्ष्य	उपलब्धि (% में)
घर-घर जाकर 100% संग्रह	सभी 943 वार्डों में	845 वार्डों में (89.60%)
स्रोत पर 100% पृथक्किरण	सभी 943 वार्डों में	410 वार्डों में (43.47%)
कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण	प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 1,021 टीपीडी कचरे का 100%	संसाधित अपशिष्ट का 653 टीपीडी (64%)

*****